जयपुर विकास प्राधिकरण की मूर्तिकारों के लिए आरक्षित योजना

मूर्तिकला विहार (ग्राम रोजदा) के भूखण्डों की लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं नियम व शर्ते

योजना का शुभारम्भ :	20 अप्रैल 2017
योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथिः	19 मई 2017
लॉटरी की तिथि	26 मई 2017

—: प्रस्तावना :—

जयपुर विकास प्राधिकरण की पूर्व में सृजित मूर्तिकला विहार आवासीय योजना में वंचित रहे मूर्तिकारों के लिए उक्त योजना में उपलब्ध आवासीय भूखण्ड हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त योजना ग्राम रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में, जो मुख्य कालवाड रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

❖ मूर्तिकला विहार योजना के **390 भूखण्डों** हेतु आवेदन पत्र जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in अथवा ई–मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

❖ योजनानुसार भूखण्डों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

आवेदक का वर्ग	सकल आय सीमा (प्रतिमाह रूपये में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड की दर (रूपये प्रति व.मी.)	आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण हेतु देय राशि (रू.)
(A)	10000/- तक	45	85	1625/–	10000/–
(B)	10001/- से 15000/- तक	90	234	3900/–	15000/–
(C)	15001/- से 30000/- तक	162	71	6500/–	20000/–

नोटः–भूखण्डों की अनुमानित संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है। लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटित होने पर किसी भी स्थिति में आवंटित भूखण्ड बदला नहीं जा सकेगा।

आवेदन की सामान्य शर्ते :–

❖ **उक्त योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन करने के लिए मूर्तिकार डेवलपमेण्ट कमिश्नर (हैण्डीक्राफ्ट), मिनिस्टर ऑफ टैक्सटाईल, भारत सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर पात्र माना जायेगा। जिस आवेदक के पास मूर्तिकार परिचय पत्र नहीं होने पर पंजीकरण राशि जब्त करते हुये भूखण्ड निरस्त कर दिया जावेगा।**

❖ आवेदन एक ही फार्म/रजिस्ट्रेशन नम्बर से ही किया जाना है। भूखण्ड आवंटन कराने के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा अलग–अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

❖ मूर्तिकला विहार योजना में आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क रू. 200/– एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

❖ रू. 30000/– से अधिक मासिक आय वाले आवेदक इस योजना में आवेदक के पात्र नहीं होगें।

❖ पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नगद ई–मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।

❖ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

❖ **योजना के भूखण्डों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है।** अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अज्ञात कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं पाया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।

❖ योजना में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन की अंतिम तिथि तक की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

❖ आवेदन फार्म में आवेदक को **आधार या भामाशाह कार्ड का नम्बर अंकित करना होगा**, यदि आधार/भामाशाह कार्ड न होने की स्थिति में आधार/भामाशाह कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।

❖ आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य हैं। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह होते है जिनकी आय आवेदन करते समय आवेदक की सकल आय में जोडी जाती है।

❖ आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है की परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

❖ मोबाइल नम्बर की सत्यता की जॉच पूर्ण नहीं होने की दशा में अर्थात् मोबाईल नम्बर स्वयं अथवा पति/पत्नि या आश्रित सदस्य के नाम नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

❖ आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।

❖ गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

❖ असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेज के NEFT के माध्यम से किया जाएगा।

- एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र कियोस्क को पंजीकरण राशि सारिणी के अनुसार (प्रक्रिया शुल्क रू. 200 के अतिरिक्त) जमा कराने पर ई–मित्र कियास्क को 45/– अतिरिक्त देय होंगे।
- आवेदन के दौरान आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित करें आवेदनकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही हो तथा चालू स्थिति में हो जिससे असफल आवेदको को ऑनलाईन पंजीकरण राशि सही खाते में जमा हो सकें। गलत/अमान्य होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- योजना से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त सामान्य शर्तो के अतिरिक्त मूर्तिकला विहार आवासीय योजना में लॉटरी के माध्यम से आवंटित भूखण्डों के संबंध में शर्ते निम्नप्रकार से रहेगीः–

1. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
2. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
3. आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र 1,00,000 के आबादी वाले कस्बा/शहर में कोई आवासीय भूखण्ड/आवास (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
4. नियमानुसार आवंटन से 5 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।
6. भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस में कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।
7. आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम–1974 के प्रावधान एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होगें।
8. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।
9. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
11. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
12. प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

1. **आवेदन करने की प्रक्रिया :**

1.1 योजना में भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई–मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

1.2 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित), IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

1.3 आनॅलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान- Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

1.4 ई–मित्र कियोस्क पर आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नगद राशि के माध्यम से किया जा सकेगा। ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र सेवादाता द्वारा लेय राशि निम्न प्रकार होगी :–

1. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में पंजीकरण राशि सारिणी के अनुसार (प्रक्रिया शुल्क रू. 200 अतिरिक्त) होने पर ई–मित्र कियोस्क द्वारा लेय राशि रू. 45/– होगी।

2. **आवेदन की पात्रता :**

2.1 राजस्थान का मूल निवासी ।

2.2 **उक्त योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन करने के लिए मूर्तिकार डेवलपमेण्ट कमिश्नर (हैण्डीक्राफ्ट), मिनिस्टर ऑफ टैक्सटाईल, भारत सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर पात्र माना जायेगा। जिस आवेदक के पास मूर्तिकार परिचय पत्र नहीं होने पर पंजीकरण राशि जब्त करते हुये भूखण्ड निरस्त कर दिया जावेगा।**

2.3 आवेदक की वित्तीय वर्ष 2016–17 में सकल मासिक आय वर्ग सारिणी के अनुसार होगी।

2.3 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।

2.4 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/आवास (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

2.5 आवेदक के स्वंय के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है। जो योजना अवधि में चालू रहना चाहिए।

2.6 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम/परिवार के सदस्य को गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नही हुआ हो।

2.7 आवेदक को आवेदन पत्र में एक मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

3. **आवेदक की सकल मासिक आय का विवरण :**

आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2016–17 के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई प्राप्त आय सम्मिलित होगी (ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते है उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा)।

4. **भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :**

4.1 जिन योजनाओं के लिए आवेदन अभी आमंत्रित किए जा रहे है उनमें उपलब्ध सभी भूखण्डों में आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी
					10%			
10%	6%	9%	3%	2%	शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)	60%

* राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियॉ की नियमित रूप से चयनीत कर्मचारी जोकि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

4.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

4.3 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगें।

4.4 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.5 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4.6 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।

4.7 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ.,सी.आई.एस.एफ व सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।

4.8 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक की आवेदन कर सकता है।

4.9 सैनिक कोटे में (अन्य सैनिक श्रेणी) आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई

सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

4.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

4.11 शहीद सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।

4.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

4.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (जल, थल एवं सेना तथा बी.एस.एफ.,सी.आई.एस.एफ.,सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
(ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ.,सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. भी शामिल है)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ.,सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. भी शामिल है) वर्तमान में कार्यरत/सेवानिवृत सैनिक स्वयं या उनके आश्रित सम्मिलित हैं।

4.14 विकलांगो (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 3% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

5. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

5.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- **उक्त योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन करने के लिए मूर्तिकार परिचय पत्र जो कि डेवलपमेण्ट कमिश्नर (हैण्डीक्राफ्ट), मिनिस्टर ऑफ टैक्सटाईल, भारत सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर पात्र माना जायेगा। (समस्त आवेदकों के लिए),**
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./आधार कॉर्ड/ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित भूखण्डों के संबंधं में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

5.2 जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जॉच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

5.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर या जयपुर शहर में स्थित किसी भी अधिकृत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा में एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

5.5 आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

6. <u>आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :</u>

6.1 प्राधिकरण में जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड लॉटरी तिथि से पूर्व एवं बाद में आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करके शेष राशि लौटाई जावेगी।

6.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी, तथ्य छिपाये जाने का भविष्य में ज्ञान होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

7. <u>असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :</u>

7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित बचत खाता संख्या तथा IFSC Code में हस्तान्तरित की जावेगी। विशेष परिस्थिति में जिन आवेदन की पंजीकरण राशि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा हुई है को उसी क्रेडिट कार्ड में हस्तान्तरित की जा सकती है।

7.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. <u>आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण :</u>

8.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

8.2 एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

8.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

8.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

8.5 आवेदन पत्र में नियम विरूद्व एवं गलत तथ्य देने पर।

8.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।

8.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

9. **अन्य महत्वूपर्ण शर्ते :**

9.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगें।

9.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

9.3 चूँकि उपरोक्त भूखण्ड मूर्तिकार व्यक्तियों के लिए योजना के अन्तर्गत विशेष रियायत से आवंटन किया गया है, अतः किसी भी प्रकार से (सेल, मोर्टगेज आदि) नियमानुसार आवंटन से 5 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।

9.4 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन की पात्र नहीं होगी। इसके साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जावेगी।

9.5 आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।

9.6 प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

9.7 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

9.8 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।

9.9 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। ।

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

....

आयु.......................... निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड, आवास अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।

(3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/प्लॉट/आवास मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान/आवास आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (**IPC**) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... जाति .... निवासी..................... ....

.... तहसील.......................................जिला ....

राज्य .... की स्वंय पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू0......................... .... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बर ....हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रू0 .... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान : विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी... ....जिला .... सम्भाग................................ राज्य .... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .... (रैंक) .... (नाम) .... (नम्बर) ....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री .... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू0 .... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु............................ निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.. .... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**)अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु........................... निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. .... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. ....तहसील .... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति